

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
वाराणसी।

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,  
कमिश्नरेट, वाराणसी।

पत्रांक: मु0चि0अ0 / चि0अ0 / 2024 / 8415

दिनांक 06-12-2024

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (क्रिमिनल)144-145/2024 जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 28-11-2024 को कोतवाली थाना भेलूपुर के थानाध्यक्ष द्वारा डा0 सारिका राय, पूर्व अधीक्षक, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-दुर्गाकुण्ड जो वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-गंगापुर मंगारी पर तैनात हैं, को पुलिस कार्यवाही हेतु थाने पर बुलाकर बैठाया गया, जोकि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है।

जैसाकि आप अवगत हैं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (क्रिमिनल)144-145/2024 जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05-08-2005 द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी भी चिकित्सक के विरुद्ध चिकित्सा में लापरवाही/गलत चिकित्सा करने के आरोपों के मामले में जांच अधिकारी द्वारा किसी भी पुलिस कार्यवाही के पूर्व मेडिकल बोर्ड से जांच कराते हुए लापरवाही या गलत ईलाज की पुष्टि कर लेना आवश्यक है, परन्तु थानाध्यक्ष, थाना-भेलूपुर द्वारा उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

उक्त संदर्भ में अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त सम्बन्ध में निर्देशित एवं प्रशिक्षित कराने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति और उससे उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक असहज स्थिति से बचा जा सके। सुलभ-संदर्भ हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-13/2022 दिनांक 25 मई, 2022 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
वाराणसी।

पत्रांक: मु0चि0अ0 / चि0अ0 / 2024 /

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
वाराणसी।

देवेन्द्र सिंह चौहान  
आई०पी०एस०



डीजी-परिपत्र संख्या-13/2022

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश

पुलिस भवन, गौमतीनगर विस्तार

लखनऊ-226002

दिनांक : लखनऊ: मई 25, 2022

विषय:- चिकित्सकों के विरुद्ध चिकित्सकीय उपेक्षा (Medical Negligence) की शिकायतों पर कार्यवाही, मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (क्रिमिनल) 144-145/2004 जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.08.2005 में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

यू०पी० नर्सिंग होम एसोसिएशन तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लखनऊ शाखा द्वारा इस मुख्यालय को प्रत्यावेदन क्रमशः दिनांकित 05.04.2022 एवं 07.04.2022 प्रेषित किये गये हैं, जिनके माध्यम से चिकित्सकों के विरुद्ध चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) की शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने तथा इस सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (क्रिमिनल) 144-145/2004 जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.08.2005 में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं।

ज्ञातव्य है कि चिकित्सकों के विरुद्ध चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) की शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित न्यायिक निर्णय दिनांकित 05.08.2005 में दिये गये निर्देशों का उद्यरण निम्नवत है :-

"Guidelines re: prosecuting medical professionals As we have noticed hereinabove that the cases of doctors (surgeons and physicians) being subjected to criminal prosecution are on an increase. Sometimes such prosecutions are filed by private complainants and sometimes by police on an FIR being lodged and cognizance taken. The investigating officer and the private complainant cannot always be supposed to have knowledge of medical science so as to determine whether the act of the accused medical professional amounts to rash or negligent act within the domain of criminal law under Section 304-A of IPC. The criminal process once initiated subjects the medical professional to serious embarrassment and sometimes harassment. He has to seek bail to escape arrest, which may or may not be granted to him. At the end he may be exonerated by acquittal or discharge but the loss which he has suffered in his reputation cannot be compensated by any standards.

We may not be understood as holding that doctors can never be prosecuted for an offence of which rashness or negligence is an essential ingredient. All that we are doing is to emphasize the need for care and caution in the interest of society; for, the service which the medical profession renders to human beings is probably the noblest of all, and hence there is a need for protecting doctors from frivolous or unjust prosecutions. Many a complainant prefers recourse to criminal process as a tool for pressurizing the medical professional for extracting uncalled for or unjust compensation. Such malicious proceedings have to be guarded against.

Statutory Rules or Executive Instructions incorporating certain guidelines need to be framed and issued by the Government of India and/or the State Governments in consultation with the Medical Council of India. So long as it is not done, we propose to lay down certain guidelines for the future which should govern the prosecution of doctors for offences of which criminal rashness or criminal negligence is an ingredient. A private complaint may not be entertained unless the complainant has produced prima facie evidence before the Court in the form of a credible opinion given by another competent doctor to support the charge of rashness or negligence on the part of the accused doctor. The investigating officer should, before proceeding against the doctor accused of rash or negligent act or omission, obtain an independent and competent medical opinion preferably from a doctor in government service qualified in that branch of medical practice who can normally be expected to give an impartial and unbiased opinion applying Bolam's test to the facts collected in the investigation. A doctor accused of rashness or negligence, may not be arrested in a routine manner (simply because a charge has been levelled against him). Unless his arrest is necessary for furthering the investigation or for collecting evidence or unless the investigation officer feels satisfied that the doctor proceeded against would not make himself available to face the prosecution unless arrested, the arrest may be withheld."

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चिकित्सकों के विरुद्ध चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) की शिकायत प्राप्त होने पर विवेचक को चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही से पूर्व चिकित्सकीय लापरवाही के विन्दु पर निष्पक्ष सक्षम सरकारी चिकित्सक का विशेषज्ञ अभिमत प्राप्त कर लेना चाहिए। चिकित्सकों की गिरफ्तारी, विवेचना एवं साक्ष्य संकलन हेतु आवश्यक होने अथवा चिकित्सक के अभियोजन हेतु उपस्थित न होने की सम्भावना पर ही की जायेगी। चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) के प्रकरणों में चिकित्सकों की सामान्य रूप से (Routine) गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में विवेचकों को संवेदनशील करने हेतु कार्यशाला आयोजित कर चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) के प्रकरणों में कार्यवाही के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ विवेचकों को अवगत कराते हुये निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह चौहान) 25/5/24

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ०प्र०।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ०प्र०।